ईंट भठठों के संचालन हेतु मिट्टी खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित सूचना ।

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या-1533(ई.), दिनांक-14.09.2006 के द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों के स्थापना के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लेन का प्रावधान किया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति लिए जाने के पीछे उद्देश्य है कि उद्योगों के स्थापना एवं उनके क्रियाकलाप से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण, वहिस्राव आदि के संबंध में पूर्व आकलन/निर्धारण करते हुए उन प्रदूषणकारी कारकों को मान्य सीमा में रखने हतु योजना/कार्यक्रम का निर्धारण हो सके।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के उद्योगों को उनके प्रदूषण क्षमता आदि के दृष्टिकोण से दो श्रेणी क्रमशः 'ए.' एवं 'बी.' में बांटा गया है। खनन कार्य के उद्योग को श्रेणी 'बी.' में रखा गया है। श्रेणी 'बी.' के उद्योगों को भी विभिन्न मानकों के आधार पर 'बी'.1 एवं 'बी.'2 श्रेणी में विभक्त किया गया है। 'ए.' श्रेणी के उद्योगों को पर्यावरणोय स्वीकृति देने हेतु स्वयं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार एवं 'बी.' श्रेणी के उद्योगों को उक्त स्वीकृति पदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार का गठन किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि ईंट भट्ठों को पूर्व में भी प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से अनापत्ति की आवश्यकता होती थी। यह अनापत्ति वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत ईंट भट्ठे सहित अन्य उद्योगों की स्थापना/संचालन हेतु ली जाती है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत राज्य में ईट भट्ठों के स्थापना/संचालन हेतु सहमति दी जाती रही है।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दीपक कुमार बनाम हरियाण राज्य एवं अन्य में दिनांक-27.02.12 को पारित आदेश के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-एल.-11011/47/2011 -1 ए.II (एम.), दिनांक-24.06.13 के द्वारा ईंट भट्ठों में प्रयोग हेतु 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में किए जाने वाले मिट्टी खनन कार्य को 'बी.'2 श्रेणी के उद्योग के रूप में चिन्हित करते हुए पर्यावरण स्वीकृति लिए जाने का प्रावधान किया गया है। यह पर्यावरणीय स्वीकृति उस सहमति के अतिरिक्त है जो उपर कंडिका 3 के तहत प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से ली जाती है। यदि खनन क्षेत्र 5 हेक्टयेर से अधिक हो अथवा एक खनन क्षेत्र की परिधि से 500 मीटर की दूरी के अन्दर अन्य खनन क्षेत्र आते हों तेा वह खनन 'बी0'1 श्रेणी के रुप में चिन्हित किया गया है जिसके लिए उक्त क्षेत्र का पर्यावरण समाघात निर्धारण (EIA) कराने का प्रावधान है। उक्त अधिसूचना के उपरान्त ईट भट्ठों के स्थापना/संचालन हेतु वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत लिए जाने वाले सहमति के अतिरिक्त मिट्टी खनन क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकार से लिया जाना अनिवार्य है।

5. पर्यावरणीय स्वोकृति के प्रक्रिया हेतु आवेदन को सुगम बनाने हेतु निम्न अभिलेख /सूचना का अवलोकन किया जा सकता है :

   (i) ईट भठ्ठों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु समर्पित किए जाने वाले दस्तावेज ।
   (ii) पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन देने के लिए प्रपत्र-1
   (iii) पर्यावरणोय स्वीकृति हेतु प्रपत्र-1 भरने हेतु आवश्यक अनुदेश।
   (iv) पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भरा गया एक मॉडल प्रपत्र-1 एवं Prefeasibility प्रतिवेदन
   (v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्रांक एल0 11011/47/2011-1A II (M) दिनांक 24-6-13

ईट भठ्ठों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किए जाने वाले दस्तावेज

(1) पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पूर्णत: भरा हुआ फार्म-1

(ii) आवेदक के जमीन के स्वामित्व संबंधित दस्तावेज।

(iii) आवेदक का पहचान संबंधित दस्तावेज।

(iv) यदि जमीन खनन हेतु Lease पर ली गयी हो तो संबंधित Lease एग्रीमेन्ट संबंधित दस्तावेज।

(v) खसरा मैप। [यह अचंल कार्यालय या अन्य राजस्व कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।]

(vi) ब्रिक किल्न हेतु खनन क्षेत्र किसी नेशनल पार्क/आश्रयणी के 1 कि.मी. की दूरी के अंदर वर्जित है। उक्त आशय से संबंधित शपथ पत्र।

(vii) एक खनन क्षेत्र के परिधि से दूसरे खनन क्षेत्र की परिधि के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक होने पर पूरे Cluster का पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्क होगा। तदनुरूप इसके संबंधित शपथ पत्र/ मुखिया से प्राप्त किया गया प्रमाण पत्र। Google Map जिसमें विभिन्न खनन क्षेत्रों को दिखाया गया हो भी समर्पित किया जा सकता है।

(viii) प्रीफिजिविलिटी प्रतिवेदन (Prefeasibility report).

नोट:- (a) आवेदन एवं अन्य समर्पित किये जाने वाले दस्तावेज दो प्रतियों में एवं संबंधित Soft copy(CD) भी जमा करना होगा। आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में भर जा सकते है।

(b) यदि Survey of India के कार्यालय से खनन क्षेत्र का Topographical Map (1:50000 scale) उपलब्ध हो तो उसे भी संलग्न करें।